बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:::कार्यालय आदेश:::–

का0आ0–15/बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड–I) सा0प्र0................/, पटना–15, दिनांक..............................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 12.01.2016 के क्रमांक–08 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक को संविदा के आधार पर दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में सहायक के पद पर नियोजित किया गया। जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 13.01.2016 को संविदा के आधार पर सहायक के पद पर पथ निमार्ण विभाग, बिहार, पटना में योगदान दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(ख)(v) के तहत पथ निमार्ण विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री प्रसाद, संविदा पर नियोजित सहायक की सेवावधि विस्तार से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री प्रसाद, संविदा पर नियोजित सहायक को दिनांक 12.01.2018 से एक वर्ष के लिए सेवावधि का विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) यह नियोजन दिनांक 12.01.2018 से एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगी।

3) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

6) इन्हें सहायकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–

(एम0एस0अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/ बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड–I) सा0प्र0...362.../, **पटना–15, दिनांक**...8.11.17...

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, पथ निमार्ण विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22

112 PK/sush/office order

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संविदा पर नियेजित सहायक, पथ निमार्ण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/ बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड–I) सा0प्र0...3९४, पटना–15, दिनांक...९.11.17

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/11/17

सरकार के अवर सचिव।

113 PK/sush/office order

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:::कार्यालय आदेश:::–

का0आ0–15/बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड) सा0प्र0................./, पटना–15, दिनांक....................................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा/निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3(3)(ख) के आलोक में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 22.09.2017 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त सहायक को वित्त विभाग, बिहार, पटना में संविदा के आधार पर सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है।

2) यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4) इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शैल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

7) इन्हें सहायकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–

(एम0एस0अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/ बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड) सा0प्र0..................../, पटना–15, दिनांक................................

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य

प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त सहायक, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/ बि0स0से–01–10/2010 (खण्ड) सा0प्र0 370 **/, पटना–15, दिनांक** 8.11.12

प्रतिलिपि:– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।